कोविड–19
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021/73 दिनांकः 12.04.2021

आदेश

विभाग के समसंख्य आदेश क्रमांक आईडीएसपी/कोरोना/2020/74 दिनांक 25.07.2020 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एम.डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 07/2020 दिनांक 19.06.2020 में पारित आदेशों के क्रम में राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 रोगियों का समुचित उपचार एवं समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु संभाग व जिलेवार कमेटियाँ गठित की गयी।

उपरोक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करें :–

- संभागीय तकनीकी कमेटी का दायित्व होगा कि वह कोविड–19 रोगियों के स्वास्थ्य से संबंधित आने वाली सूचनाओं का प्रतिदिन तकनीकी रूप से आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश/उच्चतर संस्थान में रैफर किये जाने की अनुशषां प्रदान करेगी। उक्त कमेटी समस्त राजकीय व निजी कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण दल में संबंधित जिला कलेक्टर के नामित प्रतिनिधी के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक संबंधित जोन एवं मेडीकल कॉलेज के 02 विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति में निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्तर की कमेटी जिले के समस्त कोविड निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण दल में जिला कलेक्टर का नामित प्रतिनिधी एवं न्यूनतम अन्य कोई भी 02 कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में ही निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगी।

जिला/संभाग स्तर की कमेटियों द्वारा कोविड–19 अस्पतालों में निम्न दिशा निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें :–

1. Treatment protocol की पालना
2. Dignified handling of dead bodies
3. CCTV Camera
4. Help Desk एवं Stress Management
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जाँच व उपचार।

- उपरोक्त पूर्व दिशा निर्देशों के अतिरिक्त वर्तमान में निर्देशानुसार निजी कोविड अस्पतालों के निरीक्षण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी आवश्यकतानुसार उपरोक्त टीम से समन्वय कर उनकी मदद ले सकते हैं

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021/73 दिनांकः 12.04.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), राजस्थान।
6. निजी सहायक, निदेशक जन0 स्वा0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) मुख्यालय।

Scanned with CamScanner

8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में गठित कमेटियों की निरन्तरता में वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अधीक्षक, संलग्न मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
11. एसएनओ (आईडीएसपी) मुख्यालय।
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में गठित कमेटियों की निरन्तरता में वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
15. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) राजस्थान।
16. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान।
17. अध्यक्ष, प्राईवेट हॉस्पीटल एवं नर्सिंग ऑफ सोसायटी, राजस्थान।
18. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधितों को ईमेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड वास्ते
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner